प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देवरिया एवं जौनपुर ।

पत्रांक :: 673 / वि0का0 / 2012–13 लखनऊ :: दिनांक :: 25 सितम्बर–2012

विषय **वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विलेज हाट के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष सामान्य मद अनुदान सं0–13 से राज्यांश की मैचिंग धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

शासनादेश सं0–960 / 38–6–2012–32एसजीएसवाई / 2011, दिनांक 05–09–2012 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत विलेज हाट के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–13 सामान्य मद के अन्तर्गत रू0 5.625 लाख (रू0 पांच लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि दो जनपदों देवरिया एवं जौनपुर को आवंटित करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है।

2. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनपदों को अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या–13, सामान्य मद के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 5.625 लाख (रू0 पांच लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) संलग्न विवरण के कालम 3 के अनुसार आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आबंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मॉग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिलों के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उ0प्र0 शासन को भेजी जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए–0108–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के075 / रा025–रा0)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में सामान्य मद अनुदान संख्या–13 में आपके जनपद को अब तक आवंटित की गयी धनराशि का प्रगामी योग कालम 4 में दर्शाया गया है।

8. जारी किये गये आदेशों की प्रतियाँ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग–6 तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।

9. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं0 193 पर कर ली गई है।

<u>संलग्नक– उपरोक्तानुसार</u>

भवदीय,

(अनिल गर्ग)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :: 673 / वि0का0 / 2012–13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया एवं जौनपुर।
5. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देवरिया एवं जौनपुर।
6. वित्त (व्यय– नियंत्रण) अनुभाग–2 / वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–2।
7. राज्य योजना आयोग–1 / 2 उ0प्र0 शासन।
8. विशेष सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग–6 उ0प्र0 शासन को उनके पत्र सं0–960 / 38–6–2012–32एसजीएसवाई / 2011, दिनांक 05–09–2012 के संदर्भ में।
9. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10. कोषाधिकारी, देवरिया एवं जौनपुर।
11. उप सचिव (एस0जी0एस0वाई0), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(यू0 एन0 उपाध्याय)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : 673/वि0का0/2011–12 दिनांक : 25 सितम्बर, 2012 का संलग्नक

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत विलेज हाट के निर्माण हेतु वर्ष 2012–13 में अनुदान सं0–13 सामान्य मद में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	देवरिया	**2.813**	**34.343**
2	जौनपुर	**2.812**	**56.382**
State Total ::		**5.625**	

(रू0 पांच लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र)

(यू0 एन0 उपाध्याय)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

527/उ.आ.(लेखा)/12 पी.ओ. 255/V.L/12
10.9.12 12-9-12

संख्या–960 / 38–6–12–32एसजीएसवाई / 2011

प्रेषक,

अवधेश नारायण,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 5 सितम्बर, 2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विलेज हाट के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रॉश की द्वितीय किश्त के सापेक्ष सामान्य मद अनुदान संख्या–13 से राज्यॉश की मैचिंग धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–658 / आजीविका–वि.हा.–द्वि.कि. / ए.मा.से. / 2010–11 दिनांक 19 जुलाई, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत सामान्य मद अनुदान संख्या–13 में हुई बजट व्यवस्था रू0 117.50 करोड़ में से विलेज हाट के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में भारत सरकार द्वारा जनपद–देवरिया तथा जौनपुर को अवमुक्त किये गये केन्द्रॉश की द्वितीय किश्त रू0 33.750 लाख की धनराशि के सापेक्ष राज्यॉश की मैचिंग धनराशि रू0–11.250 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 5.625 लाख (रूपये पॉच लाख बासठ हजार पॉच सौ मात्र) आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

F8 A0
श्री दीक्षित
2.9.12
(... उपाध्याय)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास उ0प्र0।
श्री ...
10.9.12

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार विलेज हाट योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी

दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये जनपदों के संबंधित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र., लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।

(3) वित्तीय वर्ष 2012–13 में अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि रू0–5.625 लाख (रूपये पॉच लाख बासठ हजार पॉच सौ मात्र) में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जनपदों को तत्काल उपलब्ध करायी जाये, जिससे जिलाधिकारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार/विलेज हाट योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

(4) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(5) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है और उससे विचलन न हो।

(6) आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–3520/दस–2011–231/2011 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 तथा कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012 दिनांक 09 जुलाई, 2012 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्ययक अनुदान संख्या–13 के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक "2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0108–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के.75/रा. 25–रा.)–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—ई—2—617/दस—2012 दिनांक 03 सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(अवधेश नारायण)
उप सचिव।

संख्या—960(1)/38—6—2012—तददिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1.महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ.प्र., इलाहाबाद।
2.मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, नवॉ तल, इन्दिरा भवन,लखनऊ।
3.निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4.संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,उ.प्र. द्वारा—आयुक्त,ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5.अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
6.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2
7.ग्राम्य विकास अनुभाग—3/ नियोजन अनुभाग—3
8.राज्य योजना आयोग—1/2,
9.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवधेश नारायण)
उप सचिव।